न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील सं. 41/2025
जीसीएमएस सं. 2025/137

अपीलांटः—

गजेन्द्र सुथार पुत्र श्री रामदेव जी जाति सुथार निवासी शनि बाबा मंदिर के सामने, गुढा रोड, झालामण्ड, तहसील व जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोंडेंट्सः—

1. जोधपुर विकास प्राधिकरण जरिये सचिव
2. तहसीलदार, जोधपुर।
3. मंजु देवी पत्नी मनोहरलाल जाति घांची निवासी गली नंबर 14, मिल्कमेन कॉलोनी, जोधपुर।
4. उषा सोलंकी पत्नी श्री गंगाराम जाति घांची निवासी घोडो का चौक, जोधपुर।
5. राखी भाटी पत्नी राजेन्द्र जाति घांची निवासी शोभावतों की ढाणी, जोधपुर।
6. आयचुकी पत्नी सालगराम जाति घांची निवासी मिल्कमेन कॉलोनी, जोधपुर।
7. श्रीमती पुष्पा पत्नी नैनूराम जाति घांची निवासी सोजतियों का बास, जोधपुर।
8. श्रीमती गुड्डी पत्नी अमृतलाल भाटी जाति घांची निवासी बाईजी का तालाब, जोधपुर।
9. श्रीमती श्यामा पत्नी रामलाल सोलंकी जाति घांची निवासी कबुतरों का चौक, जोधपुर।
10. श्रीमती प्रेम पत्नी श्यामलाल भाटी जाति घांची निवासी खाडी बाईजी का तालाब, जोधपुर।
11. विमला पत्नी पुनाराम भाटी जाति घांची निवासी खाडी बाईजी का तालाब, जोधपुर।
12. बसंती पत्नी मोहनलाल घांची निवासी बाईजी का तालाब, जोधपुर।
13. रमेशचंद पुत्र मांगीलाल धाणदिया, जाति घांची निवासी राजस्थान डेयरी के पीछे, जालोरी गेट के अंदर, जोधपुर।

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम नामांतरकरण सं. 6604 दिनांक 25.03.2019 द्वारा उप तहसीलदार, कुडी भगतासनी जिसके द्वारा उन्होने ग्राम झालामण्ड की भूमि खसरा नंबर 799 में से 12 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नंबर 802 में से 20 बीघा एवं खसरा नंबर 831 में से 28

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

बीघा 10 बिस्वा भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के नाम दर्ज कर दी।

उपस्थितिः–

01. अधिवक्ता श्री अर्जुन बोराणा (अपीलांट की ओर से)
02. अधिवक्ता श्री राजेश शर्मा (प्रत्यर्थी सं. 01 की ओर से)
03. अधिवक्ता श्री मोती सिंह राजपुरोहित, श्री करण सिंह (प्रत्यर्थी सं. 3, 4, 7, 9, 12 की ओर से)

निर्णय **दिनांक 30.12.2025**

1. यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधि. 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत, उप–तहसीलदार, कुडी–भगतासनी (जोधपुर), द्वारा ग्राम–झालामण्ड के नामान्तरकरण संख्या 6604 पर पारित आदेश दिनांक 25.03.2019 के विरूद्ध जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर के न्यायालय में दिनांक 16.04.2019 को पेश की गई है, जहां से यह अपील अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर के न्यायालय में स्थानान्तरित की गई तथा अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर से स्थानान्तरित होकर दिनांक 20.01.2025 को इस न्यायालय में प्राप्त हुई है।
2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किए गए। प्रत्यर्थीगण की ओर से श्री मोतीसिंह, जोगेन्द्रसिंह, करणसिंह, श्रवण सिंह, भंवरसिंह तापू व राजेश शर्मा अधिवक्तागण ने वकालतनामा पेश किए।
3. अपील मीमों में अंकित अभिवचनों अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त व सारवान तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम झालामण्ड का ख.न. 799 रकबा 12–11 बीघा, ख.न. 800 रकबा– 4 बिस्वा, ख.न. 801 रकबा–2 बिस्वा, ख.न. 802 रकबा–28–05 बीघा, ख.नं. 831 रकबा 28–10 बीघा कुल खसरान् संख्या–5 कुल रकबा– 69–12 बीघा भूमि अपीलांट के पिता रामदेव की खातेदारी की पुश्तेनी भूमि थी। अपीलांट ने दिनांक 03.03.2008 को एक राजस्व वाद–बाबत खातेदारी की घोषणा, बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा बाबत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जोधपुर के कोर्ट में पेश करने पर दिनांक 03.03.2008 को उक्त आराजी बाबात रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाए रखने का अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया गया।

रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 13 तक ने उक्त ख.न. 799 रकबा 12–11 बीघा, ख.न. 802 में से 20 बीघा तथा ख.न. 831 रकबा 28–10 बीघा भूमि को राजस्थान भू–राजस्व अधि. 1956 की धारा 90 क के अन्तर्गत कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजनार्थ के लिए

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

अनुज्ञा प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र–उपायुक्त (पूर्व), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को पेश किया, जिसमें पटवारी ने ख.न. 799, 802 व 831 बाबत एस.डी.ओ. कोर्ट में वाद लम्बित होना बताया। अपीलांट को उक्त धारा–90ए की कार्यवाही लम्बित होने की जानकारी होने पर उसने दिनांक 29.05.2013 को सचिव व उपायुक्त (पूर्व) जेडीए, जोधपुर को उक्त खसरा नंबर बाबत एसडीओ कोर्ट में वाद लम्बित होने तथा उसमे दिनांक 03.03.2008 से स्थगन आदेश होने की आपत्ति पेश की। दिनांक 20.05.2017 को पुनः आपत्ति पेश की, जिसका उल्लेख जे.डी.ए. की पत्रावली में है। न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर ने दिनांक 30.08.2018 को निर्णय व डिक्री पारित कर, ख.नं. 802 रकबा 28–5 बीघा में सें 21–19–05 बीघा में अपीलांट का 1/7 हिस्सा तथा 1/7 हिस्सा अपीलांट के पिता रामदेव का तथा 1/7–1/7 से हिस्सा अपीलांट की पांच बहिनों का घोषित किया तथा प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार प्राप्त प्रस्तावों अनुसार दिनांक 17–1–2019 को बंटवारा की अंतिम डिक्री पारित की, जिसके अनुसार राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में तरमीम के आदेश हुए। नामांतरकरण सं. 6492 से ख.नं. 802 रकबा 21–19–05 बीघा भूमि अपीलांट, उसके पिता व पांचो बहिनों का प्रत्येक का 1/7 हिस्सा दर्ज किया गया।

उपायुक्त (पूर्व) जेडीए ने दिनांक 3.10.2018 को ख.नं. 796, 798/2, 799, 802, 803, 828, 829, 830, 830/1 एवं 831 रकबा –194 बीघा गैर कृषि प्रयोजनार्थ आदेश पारित कर दिया। जिसे दिनांक 13.11.2018 के आदेश से संशोधित किया गया।

उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने दिनांक 18.03.2019 को संभागीय आयुक्त जोधपुर के न्यायालय में अपील पेश की, जिसमें आदेश दिनांक 19.03.2019 से उपायुक्त (पूर्व), जेडीए, जोधपुर के आदेश दिनांक 3.10.2018 व 13.11.2018 की पालना स्थगित कर दी गई। जिसकी सूचना अपीलांट ने दिनांक 18.03.2019 को ही पटवारी व तहसीलदार, जोधपुर को दे दी थी, फिर भी पटवारी ने दिनांक 22.03.2019 को उपायुक्त के आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 6604 दिनांक 25.03.2019 को उप तहसीलदार, कुडी भगतासनी से स्वीकृत करवा लिया।

उक्त नामांतरकरण सं. 6604 गैर कानूनी है। उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर की डिक्री दिनांक 17.01.2017 की पालना में नामांतरकरण सं. 6492 से ख.नं. 802 में अपीलांट का 1/7 हिस्सा दर्ज किया गया है। पटवारी, भू.अ.निरीक्षक को संभागीय आयुक्त द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 19.03.2019 की जानकारी थी, फिर भी आदेश की अवहेलना कर, आक्षेपित नामांतरकरण दर्ज किया गया। उप तहसीलदार ने नामांतरकरण स्वीकार करने से पूर्व, अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया तथा

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

उच्चतर न्यायालयों के आदेशों की अवहेलना की गई है। अतः उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे तथा नामांतरकरण अपास्त किया जावे।

4. अपीलांट ने प्रार्थना पत्र पेश कर, सीपीसी के आदेश 39 नियम 7 के तहत मौका रिपोर्ट मंगवाने का प्रार्थना पत्र पेश किया। इसी प्रकार मौके पर चार दीवारी निर्माण कार्य रोकने का प्रार्थना पत्र पेश किया है। इसी प्रकार जे.डी.ए. जोधपुर से मूल रिकॉर्ड मंगवाने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किये है, जिसे अपीलांट ने दिनांक 04.09.2025 को नोट प्रेस कर दिया है। अतः उक्त तीनों प्रार्थना पत्र एतद्द्वारा निस्तारित किये जाते है।

5. इसी प्रकार रेस्पोंडेंट ने धारा 54 व 55 राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दिनांक 08.10.2020 को प्रार्थना पत्र पेश कर प्रकरण अन्यत्र स्थानांतरित करने बाबत निवेदन किया था, जिसे भी दिनांक 28.10.2020 को नोट प्रेस कर दिया है। अतः उसका भी निस्तारण किया जाता है।

6. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस अपील पर सुनी गई।

7. अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता श्री अर्जुन बोराणा ने अपील मीमों में अंकित अभिवचनों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट के पिता रामदेव ने उक्त खसरा नंबरान की भूमि का समय-समय पर बेचान विलेखों से हस्तांतरण किया है। ख.नं. 802 रकबा 28-10 बीघा में से 6 बीघा का भी बेचान करने पर, अपीलांट ने एतराज किया। अपीलांट ने कोर्ट में बंटवारा व घोषणा का दावा पेश किया। कोर्ट ने बंटवारा की अंतिम डिक्री पारित कर दी। ख.नं. 802 में अपीलांट को 1 / 7 हिस्सा मिला। जेडीए ने दिनांक 21.03.2019 को 20 बीघा का ले आउट प्लान पारित किया, जिसमें अपीलांट की जमीन भी थी। अपीलांट ने एतराज किया, परंतु उसे नहीं सुना गया। अपीलांट ने एतराज किया, फिर भी दिनांक 03.10.2018 व 13.11.2018 को धारा 90 ए में आदेश पारित कर दिये गये, जिसे संभागीय आयुक्त न्यायालय में चुनौती देकर दिनांक 19.03.2019 को स्टे ऑर्डर प्राप्त कर लिया, फिर भी उप तहसीलदार ने आक्षेपित नामांतरकरण सं. 6604 पारित किया गया है। स्टे ऑर्डर की कॉपी दिनांक 21.03.2019 को पटवारी / तहसीलदार को दे दी थी। अतः अपील स्वीकार की जावे तथा आक्षेपित नामांतरकरण निरस्त किया जावे।

8. जो.वि.प्रा. के विद्वान अधिवक्ता ने बहस करते हुए कथन किया कि प्राधिकरण ने विधि प्रक्रिया अपना कर कार्यवाही की है, जो सही है। अपील गलत तथ्यों पर आधारित है। अतः खारिज की जावे।

9. अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता का रिबटल में तर्क रहा कि जेडीए ने अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान ही नहीं किया। एक भी दस्तावेज इस बाबत पेश नहीं

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

किया है। इस पत्रावली का निस्तारण शीघ्र करने के निर्देश माननीय राजस्व मण्डल ने दिये है।

10. प्रत्यर्थीगण 3, 4, 7, 9, 12 के विद्वान अधिवक्ता श्री मोतीसिंह राजपुरोहित ने बहस करते हुए कथन किया कि नामांतरकरण एक रिकॉर्ड ऑफ रजिस्टर है। इससे किसी के अधिकार, हित व स्वत्वों को अंतिम रूप से तय नहीं किया जा सकता। प्रत्यर्थीगण ने भूमि अपीलांट के पिता रामदेव से क्रय की है। धारा 90ए के तहत जेडीए ने नियमानुसार कार्यवाही करके ले आउट प्लान अनुमोदित किया है तथा भूमि आबादी प्रयोजनार्थ रूपांतरित कर दी गई है। जिसके विरूद्ध अपीलांट गजेन्द्र सुथार ने न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर में अपील पेश कर दी है, जो अभी लंबित है। धारा 90 ए के तहत पारित ओदश की पालना में आक्षेपित अपीलाधीन नामांतरकरण दर्ज किया गया है। इस प्रकार प्रकरण में दो अपीले लंबित है। अगर नामांतरकरण पर पारित आदेश को इस न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया जाता है तथा धारा 90 ए के तहत पारित आदेश यथावत रखा जाता है तो आदेश की क्या वैद्यता रहेगी? नामांतरकरण का आधार धारा 90 ए के तहत पारित आदेश ही है, जिसकी अपील सब–ज्यूडिस है। धारा 90 ए के आदेश को अपास्त कराये बिना, नामांतरकरण पर पारित आदेश अपास्त नहीं किया जा सकता।

एस.डी.ओ. कोर्ट ने ख.नं. 802 रकबा 28–05 बीघा में 1/7 हिस्सा (4–03 बीघा) अपीलांट को घोषित किया, जिसके विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील अपीलांट के पिता रामदेव द्वारा पेश की गई थी, जो दिनांक 22.02.2021 को रिमाण्ड की गई, जिसके विरूद्ध अपील राजस्व मण्डल में की गई तथा राजस्व मण्डल के आदेश के विरूद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट पेश की गई है, जो अभी लंबित है तथा रिट में स्टे जारी किया हुआ है। अतः इस न्यायालय द्वारा आक्षेपित नामांतरकरण अपास्त करना न्यायोचित नहीं होगा। यह एक झूठा विवाद है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। विवादित भूमि जेडीए के नाम आबादी दर्ज हो गई है। इससे अपीलांट को कोई हानि नहीं हो रही है। अपीलांट का कोई Locus Standi नहीं है। अतः नामांतरकरण को यथावत रखा जावे। परंतु इन्होने कोई आदेश पेश नहीं किया है।

11. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन कर उस पर मनन किया। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया।

11.1–अपीलांट के कथनानुसार उसने विवादग्रस्त पुश्तैनी आराजी में अपने हिस्से की घोषणा व बंटवारा हेतु राजस्व वाद, न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जोधपुर में दिनांक 03.03.2008 को पेश किया था तथा दिनांक 03.03.2008 को ही रिकॉर्ड की

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

यथास्थिति रखने का स्थगन आदेश पारित किया गया। दिनांक 29.05.2013 व 20.05.2017 को स्थगन आदेश उपायुक्त (पूर्व), जेडीए, जोधपुर को पेश किया।

दिनांक 30.08.2018 को अपीलांट के पक्ष में दावा में घोषणा की डिक्री पारित हुई एवं दिनांक 17.01.2019 को बंटवारा की अंतिम डिक्री पारित हुई। जिसकी पालना में नामांतरकरण सं. 6492 दिनांक 14.01.2019 व 6493 दिनांक 25.01.2019 दर्ज किये गये तथा खाते अलग–अलग किये गये।

11.2–इस प्रकार दिनांक 30.08.2018 को अपीलांट को 1/7 हिस्सा ख.नं. 802 में खातेदार घोषित करने के बावजूद तथा लंबित वाद की सूचना उपायुक्त (पूर्व), जेडीए, जोधपुर को दिनांक 29.05.2013 व 20.05.2017 को देने के बावजूद दिनांक 03.10.2018/13.11.2018 को ख.नं. 802 की भूमि को धारा 90ए के तहत अकृषि प्रयोजनार्थ परिवर्तित किया गया है।

11.3–दिनांक 03.10.2018 व 13.11.2018 को उपायुक्त (पूर्व), जेडीए, जोधपुर द्वारा पारित आदेश अंतर्गत धारा 90 अ राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के विरूद्ध अपील न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर में दिनांक 18.03.2019 को पेश करके दिनांक 19.03.2019 को स्थगन आदेश जारी किया गया है, जिसकी सूचना अपीलांट अनुसार, उसने पटवारी व तहसीलदार को दिनांक 18.03.2019 को दे दी थी तथा दिनांक 19.03.2019 को भी स्थगन आदेश दिनांक 19.03.2019 की सूचना पटवारी व तहसीलदार को दे दी थी, फिर भी दिनांक 22.03.2019 को नामांतरकरण सं. 6604 दर्ज कर दिनांक 25.03.2019 को स्वीकृत किया गया है। अपीलांट ने तहसीलदार, जोधपुर को दिनांक 18.03.2019 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति पेश की है। माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त महोदय, जोधपुर द्वारा प्रकरण सं. 34/2019, स्थगन प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 90ए (गजेन्द्र सुथार बनाम जेडीए जोधपुर) में दिनांक 19.03.2019 को पारित स्थगन आदेश की प्रमाणित छायाप्रति पेश की है, जिसके अनुसार उपायुक्त (पूर्व), जेडीए, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.10.2018 व 13.11.2018 की पालना व प्रभाव को स्थगित किया जाकर, राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखने का आदेश पारित किया गया है।

11.4– इस प्रकरण में पूर्व में न्यायालय सहायक कलक्टर (एसडीओ), जोधपुर द्वारा राजस्व वाद सं. (112/2008) 78/2014 में दिनांक 03.03.2008 से ही दिनांक 17.01.2019 तक, विवादित भूमि पर स्थगन आदेश था, फिर भी उपायुक्त (पूर्व), जेडीए, जोधपुर द्वारा 90 ए के तहत कार्यवाही करके दिनांक 03.10.2018/13.11.2018 को भूमि को आबादी में परिवर्तित किया गया तथा 19.03.2019 को न्यायालय संभागीय

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

आयुक्त द्वारा स्थगन आदेश जारी करने के बावजूद दिनांक 22.03.2019 को पटवारी झालामण्ड द्वारा अपीलाधीन आक्षेपित नामांतरकरण सं. 6604 ग्राम झालामण्ड दर्ज किया तथा उप तहसीलदार, कुडी भगतासनी द्वारा नामांतरकरण स्वीकृत किया गया, जो स्पष्टतः न्यायालय के आदेशों की अवहेलना है।

11.5– प्रत्यर्थीगण का कथन है कि आक्षेपित नामांतरकरण सं. 6604 में इन्द्राज, उपायुक्त (पूर्व), जेडीए, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.10.2018 की पालना में दर्ज किया गया है, अतः जब तक उपायुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.10.2018 व 13.11.2018 को अपास्त नहीं किया जाता है, तब तक नामांतरकरण को अपास्त करने का कोई औचित्य नहीं है। प्रत्यर्थीगण के उक्त कथनों से यह न्यायालय सहमत नहीं है क्योंकि अपीलाधीन नामांतरकरण सं. 6604, दिनांक 22.03.2019 को स्थगन आदेश दिनांक 19.03.2019 के बाद दर्ज किया गया है, जो बिल्कुल ही गलत व विधि प्रावधानों के विपरीत है। दिनांक 22.03.2019 को उपायुक्त का आदेश दिंनाक 03.10.2018/13.11.2018 प्रभाव में नहीं था तथा अपीलांट न्यायालय ने उसकी पालना व प्रभाव को स्थगित कर दिया था। अतः अप्रवर्तनशील आदेश की पालना में दर्ज किया गया नामांतरकरण भी शून्य है तथा ऐसे शून्य नामांतरकरण के आधार पर राजस्व अभिलेखों में किये गये इन्द्राजों को रिकॉर्ड में यथावत रखने से, उसका दुरूपयोग होने की संभावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता। माननीय अपीलेट न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश की पालना करना इस न्यायालय का भी दायित्व है।

11.6 नामांतरकरण की कार्यवाही एक समरी फिस्कल प्रोसिडिंग जरूर है, परंतु इसके आधार पर राजस्व अधिकार–अभिलेख (खतौनी–जमाबंदी) में किये गये इन्द्राजों को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 140 के प्रावधानानुसार सत्य मानने की उप धारणा की जाती है तथा ऐसे गलत इन्द्राजों के आधार पर भूमि का अवैध तरीके से हस्तांतरण भी हो सकता है। माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर या अन्य किसी भी सक्षम न्यायालय से जैसा भी आदेश पारित किया जायेगा, उसकी पूर्णतः पालना की जाकर, रिकॉर्ड में इन्द्राज हेतु नया नामांतरकरण दर्ज करने में किसी प्रकार की अडचन नहीं है। धारा 90ए के तहत पारित आदेशों की वैद्यता का परीक्षण माननीय संभागीय आयुक्त न्यायालय द्वारा करने पर पारित निर्णय की पालना की जानी है।

11.7 सक्षम न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित करने के बाद व उसकी प्रवर्तनशीलता की अवधि में, अति जल्दबाजी में विवादास्पद आदेशों की पालना में नामांतरकरण दर्ज करने की प्रवृति उचित प्रतीत नहीं होती है।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

12. उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है तथा ग्राम झालामण्ड के नामांतरकरण सं. 6604 पर पारित आदेश दिनांक 25.03.2019 अपास्त योग्य है। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निगरानी एलआर/6652/2019/जोधपुर (गजेन्द्र सुथार बनाम मंजु देवी) की पालना में इस अपील का अंतिम निस्तारण किया जाता है।

आदेश

13. परिणामतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाती है तथा ग्राम झालामण्ड के नामांतरकरण सं. 6604 पर उप तहसीलदार, कुडी भगतासनी, जिला जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.03.2019 को अपास्त किया जाता है तथा उक्त आदेश दिनांक 25.03.2019 की पालना में राजस्व अभिलेखों में किये गये समस्त पश्चात्वर्ती समस्त इन्द्राज को अवैध घोषित किया जाकर अपास्त किये जाते है।

14. निर्णय की प्रति उपायुक्त (पूर्व), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर व तहसीलदार, कुडी भगतासनी, जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावे।

15. प्रकरण में लंबित अन्य समस्त प्रार्थना पत्र (यदि कोई हो तो) को एतद्द्वारा निस्तारित किया जाता है।

16. पत्रावली बाद तामिल व तक्मील फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। नंबर से कम हो।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

यह निर्णय आज दिनांक 30.12.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।